प्रधान मंत्री जन धन योजना
के तहत जन-धन ख़ाताधारकों
के लिये रु.30,000/-के
जीवन बीमा सुरक्षा के
दावा निपटारा हेतु प्रक्रिया -परिशिष्ट

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन सुरक्षा– संशोधन

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिनांक 20.04.2015 के पत्र संख्या 1/13016/01/2014-बीमा-I के अनुसार प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन सुरक्षा के अधीन संशोधित शर्तें और निबंधन निम्नलिखित हैं:

1. अपात्र श्रेणियों के पैरा के अंतर्गत पीएमजेडीवाई के दिशानिर्देशों और विशेषताओं के अनुसार एक अपात्र श्रेणी का उल्लेख "अन्यथा पात्र खाताधारक, जिनके पास खाते के प्रति बैंक की किसी अन्य योजना के कारण जीवन सुरक्षा है, को दो योजनाओं के बीच विकल्प चुनना होगा और किसी एक से लाभ लेना होगा" के रूप में किया गया है।

   संशोधन : यह निर्णय लिया गया है कि पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत सदस्य को कवरेज से मना नहीं किया जा सकता, यदि सदस्य ने स्वयं उसी बैंक खाते से संबद्ध किसी अन्य बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए पूरे या आंशिक बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया है।

2. पीएमजेडीवाई के संयुक्त खाते के मामले में, यदि प्राथमिक खाताधारक 30,000/- रुपए के जोखिम सुरक्षा के लिए अपात्र है, तो क्या 30,000/- रुपए का जोखिम सुरक्षा द्वितीयक खाताधारक को प्रदान किया जा सकता है, यदि वह पात्रता की शर्तें पूरी कर रहा/रही है।

   संशोधन : यह निर्णय लिया गया है कि पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत संयुक्त खाते के मामले में, यदि प्राथमिक खाताधारक 30,000/- रुपए के जोखिम सुरक्षा के लिए अपात्र है तो 30,000/- रुपए का जोखिम सुरक्षा द्वितीयक खाताधारक को प्रदान किया जाना चाहिए, बशर्ते कि यदि वह जीवन सुरक्षा के लिए पात्रता की शर्तें पूरी करता/करती है।

3. योजना का विस्तारण : पहले यह योजना 15.08.2014से 26.01.2015 तक खुली थी।

   संशोधन : यह निर्णय लिया गया है कि यह योजना 31.01.2015 तक विस्तारित की जाए।

4. यह संभव है कि खाता खोलने की तारीख को यथास्थिति (15 अगस्त, 2014 से 25 जनवरी, 2015 के बीच खोले गए खाते) खाताधारक 18 वर्ष की आयु का न हो, परंतु बाद में 18 वर्ष की आयु (16 अगस्त, 2014 से 26 जनवरी, 2015 के बीच) प्राप्त कर रहा है।" यदि सदस्य 26.01.2015 से पहले तत्पश्चात 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो क्या उसके नाम पर प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन बीमा कवरेज के लिए विचार किया जाए या नहीं।

   संशोधन : यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई नाबालिग 15 अगस्त, 2014 और 26 जनवरी, 2015 के बीच कोई खाता खोलता है तो उसे 15.08.2014 से 26.01.2015 तक (अब 31.01.2015 तक विस्तारित कर दी गई) उस अवधि के अंदर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जीवन बीमा सुरक्षा के लिए पात्र माना जाना चाहिए।

5. पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जीवन सुरक्षा के लिए पात्रता की मूलभूत शर्तों में निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किए गए हैं:

i. मूल शर्त : 15.08.2014 से 26.01.2015 तक की अवधि या किसी अतिरिक्त अवधि, जो भारत सरकार द्वारा आगे विस्तारित की जाए, के दौरान अतिरिक्त रूपे कार्ड के साथ पहली बार बैंक खाता खोलने वाला व्यक्ति।

पात्रता की संशोधित शर्त : 15.08.2014 से 31.01.2015 तक की अवधि या किसी अतिरिक्त अवधि, जो भारत सरकार द्वारा आगे विस्तारित की जाए, के दौरान अतिरिक्त रूपे कार्ड वाला बैंक खाता खोलने वाला व्यक्ति।

ii. मूल शर्त : व्यक्ति आमतौर पर परिवार का मुखिया या परिवार का अर्जनकर्ता सदस्य होना चाहिए और 18 से 59 के आयु समूह (अर्थात कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और 60 वर्ष का नहीं होना चाहिए) में होना चाहिए। यदि परिवार का मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का है तो ऊपर उल्लिखित आयु-समूह में परिवार का दूसरा अर्जनकर्ता व्यक्ति पात्रता की शर्त के अधीन सुरक्षा किया जाएगा।

पात्रता की संशोधित शर्त : व्यक्ति परिवार का सदस्य होना चाहिए और 18 से 59 के आयु समूह में होना चाहिए (अर्थात कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और साठ वर्ष का नहीं होना चाहिए) और पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करने वाला होना चाहिए जैसे कोई बैंक खाता रखना आदि।

iii. मूल शर्त : व्यक्ति के बैंक खाते से संबद्ध पास रूपे कार्ड और बायोमेट्रिक कार्ड होना चाहिए या यदि पहले से नहीं है तो बैंक खाते के साथ संबद्ध किए जाने की प्रक्रिया में होना चाहिए।

पात्रता की संशोधित शर्त : व्यक्ति के पास बैंक खाते से संबद्ध रूपे कार्ड और बायोमेट्रिक कार्ड होना चाहिए या यदि पहले से नहीं है तो बैंक खाते के साथ संबद्ध किए जाने की प्रक्रिया में होना चाहिए। तथापि, इस शर्त के कारण किसी दावे से मना नहीं किया जाना चाहिए।

iv. मूल शर्त : इस बीमा योजना में परिवार का केवल एक व्यक्ति ही सुरक्षा किया जाएगा और बहुल कार्डों/खातों वाले व्यक्ति के मामले में यह लाभ एक कार्ड के अंतर्गत ही अनुमत होगा अर्थात प्रति परिवार एक सदस्य, पात्रता की शर्तों के अधीन 30,000/- रुपए का एकल सुरक्षा प्राप्त करेगा।

पात्रता की संशोधित शर्त : बहुल कार्डों/खातों वाले किसी व्यक्ति के मामले में यह लाभ केवल एक कार्ड के अंतर्गत अनुमत होगा अर्थात एक व्यक्ति पात्रता की शर्तों के अधीन 30,000/- रुपए का एकल सुरक्षा प्राप्त करेगा।

अनुबंध ग-1

भारतीय जीवन बीमा निगम

..... कार्यालय

हकदारी के विधि साक्ष्य से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आवेदनपत्र का फार्म

30,000/- रुपए के लिए ..... (मृतक का नाम) के जीवन पर प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जीवन सुरक्षा

मैं ..... (दावेदार का नाम) उपुर्यक्त नाम वाले..... (मृतक का नाम) का रिश्तेदार ..... (मृतक के साथ संबंध) एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि पीएमजेडीवाई के उपर्युक्त बीमित सदस्य के अब मृत्यु हो गई है और मैं अनुरोध करता/करती हूं कि उपर्युक्त पॉलिसी की शर्तों के अनुसार अपेक्षित हकदारी के विधिक साक्ष्य से छुटकारा दिया जाए और मैं एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं:

मृत्यु के समय मृतक व्यक्ति का पूरा नाम, पता और व्यवसाय	
मृतक का धर्म	
उसकी मृत्यु कब और कहां हुई	

क्या मृतक ने निम्नलिखित में से किसी रिश्तेदार को पीछे छोड़ा? यदि हां, तो उनके पूरे नाम और आयु दें:

ब्योरे	पूरा नाम	आयु
पुत्र	1.	

	2. 3. 4.	
पुत्री	1. 2. 3. 4.	
विधवा या विधवाएं/ विधुर		
पिता		
माता		

अनुबंध ग-2

(राज्य के राजस्व अधिनियम के अनुसार नोटरीकृत किया जाए और मुहर लगाई जाए)

भारतीय जीवन बीमा निगम

पीऐण्डजीएस इकाई क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रतिफल में ..... (मृतक का नाम) की संपदा के प्रति प्रदान किए गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या प्रशासन के पत्र या प्रोबेट को प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ..... (मृतक का नाम) के मृत्यु दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत देय ..... रुपए की रकम ..... (मृतक का नाम) के ..... (मृतक के रिश्तेदार) को ..... (आदाता का नाम) को भुगतान करने के लिए सहमति हो जाने पर मैं/हम ..... मेरा/मेरे वारिस, निष्पादक और प्रशासक एतदद्वारा सहमति व्यक्त करता हूं/करते हैं कि मैं/हम उक्त निगम को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, चाहे वे कोई भी हों, और सभी क्षतियों, लागतों और खर्चों, जो उक्त निगम करे या ऐसे किसी दावे या दावों के परिणामस्वरूप हो, की ओर से इसके प्रति सभी दावों के लिए और से हानिरहित और क्षतिपूर्तित रखेंगे।

दिनांक :

भवदीय,

1.

2.

3.

4.

(कानूनी वारिसों के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप)

बैंक के पदाधिकारी द्वारा गवाही

हस्ताक्षर :

पूरा नाम और पदनाम

मुहर

1. क्षतिपूर्ति बंध-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा-पत्र (यदि इस पर फार्म की भाषा के अलावा अन्य भाषा में हस्ताक्षर किए गए हैं)

मैं एतदद्वारा घोषण करता/करती हूं कि मैंने क्षतिपूर्ति बंध-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को उपर्युक्त विषय-वस्तु पूरी तरह स्पष्ट कर दी है और मैंने सही ढंग से उसके द्वारा दिए गए उत्तर दर्ज किए हैं।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणाकर्ता का नाम और पता

.....

.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि क्षतिपूर्ति बंध-पत्र की विषय-वस्तु मुझे श्री/श्रीमती..... (नाम, पदनाम, व्यवसाय) द्वारा पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है और मैंने फार्म की विषय-वस्तु का महत्व समझ लिया है।

दावेदार के हस्ताक्षर

---

2. यदि दावेदार अनपढ़ है तो उसके अंगूठे की छाप किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा साक्ष्यांकित की जानी चाहिए जिसकी पहचान आसानी से स्थापित की जा सकती हो और जो निगम से संबंधित न हो और यह घोषणा उसके द्वारा की जानी चाहिए। मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैंने ..... भाषा में दावेदार को इस क्षतिपूर्ति बंध-पत्र की उपर्युक्त विषय-वस्तु पूरी तरह स्पष्ट कर दी है और कि दावेदार ने इसकी विषय-वस्तु पूरी तरह समझने के पश्चात अंगूठे की उपर्युक्त छाप लगा दी है।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणाकर्ता का नाम और पता

.....

.....

यदि उपर्युक्त रिश्तेदारों में से कोई नाबालिग है तो उल्लेख करें कि नाबालिग किसके साथ रह रहा/रही है और किसके द्वारा उनका भरण-पोषण किया जा रहा है:

क्या उल्लिखित रिश्तेदारों में से किसी के बीच कोई विवाद है	हां/नहीं
क्या मृतक व्यक्ति ने कोई वसीयत छोड़ी है	हां/नहीं

दिनांक :

दावेदार* के हस्ताक्षर

बैंक के पदाधिकारी द्वारा गवाही

नाम .....

पदनाम .....

पता .....

बैंक की मुहर

*(यह फार्म कानूनी वारिसों में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो धनराशि का दावा करता है)

---

3. आवेदन फार्म प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा-पत्र (यदि भरे गए फार्म पर फार्म की भाषा से भिन्न किसी भाषा में हस्ताक्षर किए गए हैं)

   मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैंने नामिती/दावेदार को उपर्युक्त प्रश्न पूरी तरह स्पष्ट कर दिए हैं और मैंने, नामिती/दावेदार द्वारा दिए गए उत्तर सही-सही दर्ज किए हैं।

घोषणाकर्ता का नाम और पता

.....

.....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि इस फार्म की विषय-वस्तु श्री/श्रीमती ..... (नाम, पदनाम, व्यवसाय) द्वारा मुझे पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है।

दावेदार के हस्ताक्षर

---

1. यदि दावेदार अनपढ़ है तो उसके अंगूठे की छाप किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा साक्ष्यांकित की जानी चाहिए जिसकी पहचान आसानी से स्थापित की जा सकती हो और जो निगम से संबंधित न हो और यह घोषणा उसके द्वारा की जानी चाहिए। मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैंने ..... भाषा में दावेदार को इस क्षतिपूर्ति बंध-पत्र की उपर्युक्त विषय-वस्तु पूरी तरह स्पष्ट कर दी है और कि दावेदार ने इसकी विषय-वस्तु पूरी तरह समझने के पश्चात अंगूठे की उपर्युक्त छाप लगा दी है।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणाकर्ता का नाम और पता

.....

.....